**Utilisation of Surplus gas from HBJ gas pipeline**

765. SHRI BHUVNESH CHATURVEDI: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that gas available from HBJ gas pipeline is not being fully utilised;

(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) whether there is any proposal to establish gas based petrochemical Industries along the HBJ Pipeline in Rajasthan to utilize the surplus gas ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI M. S. GURUPADASWAMY) : (a) and (b) The HBJ gas pipeline has a capacity to transport about 18 million cubic metres per day of gas. Supplies were to be made to six fertilizer plants and two power stations along this line. Three of these six fertilizer plants are yet to come up. In addition, gas was subsequently committed in 1988 to two more power stations, one of which has started taking gas while the other is scheduled to be commissioned next year. In view of the delay in establishment of 3 fertilizer plants and reduced offtake by the power plants, the capacity of HBJ Pipeline has not been fully utilised.

(c) No, Sir.

**Potentialities of cement industries in the Kota-Chittor region of Rajasthan**

766. SHRI BHUVNESH CHATURVEDI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) inview of new broad gauge railway line between Kota and Chittor in Rajasthan, wheher Government propose to undertake an intensive survey of the region to find the potentilities of cement industries in the area; and

(b) if so, what are the details of the proposed plan ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI AJIT SINGH): (a) and (b) The 'National Inventory of Cement Grade Limestone Deposits in India' compiled by the National Council for cement and Building Materials, indicates limestone deposits to be existing in the districts of Chittorgarh and Bundi in the vicinity of this broad-gauge railway line. As of now, four large cement plants with a combined capacity of 26.4 lakh tonnes per annum are in production in Chittorgarh and Kota districts and a further capacity of 12 lakh tonnes a per annum has also been approved Applications for cement plants in this area, as and when received, are being considered on merit.

**लघु इकाइयों को कतिपय सुविधायें दिये जाने के लिए "एसोचेम" से सुझाव**

767. श्री शांति त्यागी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एसोचैम" से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि लघु इकाइयों को लघु क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए और उन्हें खादी व ग्रामोद्योग के समकक्ष सुविधाएं दी जानी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री अमीन सिंह) : (क) जी, हां। एसोचैम ने सुझाव दिया है कि जिन लघु औद्योगिक एककों का संयंत्र व मशीनों में 5 लाख रु. अथवा कम निवेश है उन्हें लघु उद्योग क्षेत्र के अधीन अलग कर दिया जाए और इन्हें वे लाभ प्रदान करके संरक्षण तथा प्रोत्साहन दिया जाए जो खादी तथा ग्रामोद्योगों को उपलब्ध हैं।

(ख) लघु एककों में अपेक्षाकृत अधिक छोटे एककों को वसूल किए जाने वाले ब्याज की दर के संबंध में तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की लेवी बेहतर राहत शर्तों से दी जा रही है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपेक्षाकृत अधिक छोटे एककों को पिछड़े क्षेत्रों में 10 प्रतिशत ब्याज दर पर तथा गैर-पिछड़े क्षेत्रों में 12 प्रतिशत ब्याज दर पर 25,000/- रु० तक निश्चित ऋण दिए जाते हैं। सावधी ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा अति लघु, कुटीर व ग्रामीण क्षेत्रों में 50,000 रु० तक के निश्चित ऋणों पर भी रियायती दर पर ब्याज लिया जाता है। बैंकों द्वारा दिए गए 2 लाख रु० तक के ऋणों पर 12.5 और 14 प्रतिशत के बीच ब्याज वसूल किया जाता है जो इस राशि से अधिक की राशि पर लगने वाले ब्याज की तुलना में कम है।

15 लाख रु० (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सूची के एक से अधिक अध्याय शीर्ष के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं का विनिर्माण करने वाले एककों के मामले में 30 लाख रु) तक की स्वीकृतियां रखने वाले एककों के लिए पूरी छूट है। 15 लाख रु० से अधिक तथा 75 लाख रु० तक की स्वीकृतियों के लिए सामान्य शुल्क 10 प्रतिशत कम कर दिया जाता है, जो न्यूनतम 5% यथामूल्य है।

लघु एककों में अपेक्षाकृत अधिक छोटे एककों को दिए जाने वाले ऋण में वृद्धि करने के वास्ते अतिरिक्त सहायता देने के लिए हाल में कई उपाय शुरू किए गए हैं। अति लघु/लघु क्षेत्र की नई परियोजनाओं, जिनकी परियोजना लागत 5 लाख रु० है तथा जो 5,00,000 से अधिक आबादी वाले गांव अथवा कस्बे में स्थित हैं, के लिए इक्विटी के प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने के वास्ते 1987 में एक राष्ट्रीय इक्विटी निधि स्थापित की गयी थी। 1998 में एक सिंगल विन्डो योजना शुरू की गयी थी जिसके अन्तर्गत अधिक से अधिक 5 लाख रु० की परियोजना, लागत वाले लघु एककों को अचल परिसम्पत्तियों तथा पंजीगत ऋणों के लिए सावधी ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं। एस०एफ०सी०/एस० आई०डी०सी० इन लघु औद्योगिक एककों को अचल परिसम्पत्तियों के लिए सावधी ऋण उपलब्ध कराने के अतिरिक्त कार्यशील पूंजी के लिए भी 2.5 लाख रु० तक ऋण उपलब्ध कराते हैं।

**तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ड्रिलिंग के लिए नये क्षेत्रों का चुना जाना**

768. श्री आरिफ बेग : क्या पेट्रोलियम एवं रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने देश में कुछ नये क्षेत्र चुने हैं जहां ड्रिलिंग की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं; और

(ग) उनमें ड्रिलिंग कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम.एस. गुरुपदस्वामी) : (क) से (ग) खोजी ड्रिलिंग/परामीट्रिक ड्रिलिंग